

धारा 4(1)(b)-viii

बोर्डों, परिषदों, समितियों और इसके भाग के रूप में अथवा इसके सलाह के लिए गठित दो या अधिक व्यक्तियों से मिलकर अन्य निकायों के विवरण और कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के पहुंच के अन्दर हैं।

आयोग को सलाह देने के लिए कोई बोर्ड/परिषद्/समिति नहीं है।